नेशनल बी बोर्ड,
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार

माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी के द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर दिया जाने वाला भाषण

मधुमक्खीपालन एक कृषि आधारित गतिविधि है जो एक एकीकृत फार्मिंग प्रैक्टिसेज के साथ में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों/ भूमिहीन मजदूरों द्वार की जा रही है। मधुमखीपालन ग्रामीण जनता की आमंदनी बढ़ाने तथा भोजन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करने में मददगार है। मधुमक्खियां पर परागण द्वारा पर-परागणित फसलों में सुनिश्चित परागण के साथ साथ शहद और विभिन्न प्रकार के मधुमक्खी उत्पादों जैसे: रॉयल जेली, प्रोपोलिस, मधुमक्खी मोम, पराग, आदि उपलब्ध करा कर समाज की सेवा करती हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि मधुमखियां टिकाऊ व पर्यावरण के अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने और फसलो की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कम खर्चीला निवेश हो सकता है।

2. भारत में विविध कृषि जलवायु परिस्थितियां मधुमक्खीपालन के लिए अत्यधिक क्षमता और अवसर प्रदान करते हैं। फसलवार, मौसम और स्थान के अनुसार मधुमक्खियों द्वारा 2 से 300 गुना फसलों की उपज में वृद्धि पायी गई है। मधुमक्खीपालन द्वारा पर परागण से होने वाली अतिरिक्त उपज का मूल्य, शहद और मोम/ छत्ता उत्पादों के मूल्य की तुलना में 15-20 गुना अधिक है। मधुमक्खियों द्वारा पर परागण, विभिन्न कृषि और बागवानी फसलों के उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार करता हैं। मधुमक्खीपालन जैव-विविधता और टिकाऊ पर्यावरण को बनाए रखने में भी मदद करता है। मधुमक्खीपालन कृषि/ बागवानी का विकास कर के किसानों की आय दुगनी करने में भी मददगार है।

3. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) स्कीम के अंतर्गत "मधुमक्खीपालन के माध्यम से परागण समर्थन" घटक के तहत देश में मधुमक्खीपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह योजना राज्य सरकारों के बागवानी/ कृषि विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। नेशनल बी बोर्ड (एनबीबी), एम.आई.डी.एच. के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी (NLA) है। नेशनल बी बोर्ड 2006 से देश में वैज्ञानिक मधुमक्खीपालन के विकास और बढ़ावे में कार्य कर रहा है जिसके निम्नलिखित अच्छे परिणाम मिले हैं:

- शहद का उत्पादन 35,000 मीट्रिक टन (2005-06) से बढ़कर 1,20,000 मीट्रिक टन (2018-19) हो गया है, जो कि 242.86% अधिक है।
- शहद का निर्यात 16,769 मीट्रिक टन (2005-06) से बढ़कर 61333.91 मीट्रिक टन (2018-19) हो गया है, जो कि 265.76% अधिक है।
- चार प्रशिक्षण मॉड्यूल, अर्थात; (i) मधुमक्खीपालन पर बुनियादी प्रशिक्षण; (ii) वैज्ञानिक मधुमक्खीपालन पर प्रशिक्षण; (iii) कटाई के बाद के प्रबंधन, प्रसंस्करण, आदि पर प्रशिक्षण; और (iv) उच्च मूल्य मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन जैसे शाही जेली, पराग, प्रोपोलिस, मधुमक्खी के विष, मधुमक्खी का मोम, मधुमक्खी की रोटी, आदि पर प्रशिक्षण के लिए तैयार किये गए तथा आई.सी.ए.आर., एस.ए.यू., राज्य सरकार, के.वी.आई.सी., आदि सहित सभी हितधारकों को भेजे गए।
- विभिन्न फसलों के परागण समर्थन में मधुमक्खीमधुमक्खीपालन की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा / की गई।
- 30,166 किसानो / मधुमक्खीपालकों को वैज्ञानिक मधुमक्खीपालन जैसे उच्च मूल्य मधुमक्खी उत्पादों का उत्पादन, अर्थात; मधुमक्खी पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, मधुमक्खी विष, आदि में प्रशिक्षित किया गया ।

- प्रशिक्षित किसानों/ मधुमक्खीपालकों को मधुमक्खी कॉलोनियां उपलब्ध कराने के लिए क्वीन के साथ-साथ गुणवत्ता वाले मधुमक्खी कॉलोनियों के गुणन/ उत्पादन के लिए **29 बी ब्रीडर्स विकसित किए गए हैं।** प्रत्येक बी ब्रीडर हर साल कम से कम 2000 मधुमक्खी कालोनियों का निर्माण करता है।
- 31.03.2020 तक, 9850 मधुमक्खीपालकों/ मधुमक्खीपालन और शहद समितियों/ फर्मों/ कंपनियों आदि का 15.87 लाख मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ पंजीकृत किया गया है।
- मधुमक्खीपालन के रोल मॉडल के रूप में **16 एकीकृत मधुमक्खीपालन विकास केंद्रों (IBDC)** को हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, जम्मू व कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में विकसित गया है।
- वैज्ञानिक मधुमक्खीपालन और अन्य संबंधित मुद्दों पर जानकारी हेतु त्रैमासिक पत्रिका **"बी वर्ल्ड"** के 35 अंक प्रकाशित किये गए I
- प्रशिक्षुओं के लिए हिंदी व अंग्रेजी में प्रशिक्षु मार्गदर्शिका तैयार की गई व प्रशिक्षुओं को वितरित की गई ।
- अच्छे मधुमक्खीपालन अभ्यासों पर सलाह (GBP) प्रकाशित की गयी व सभी राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों/ हितधारकों को भेजी गयी।
- शहद के भंडारण के लिए खाद्य ग्रेड प्लास्टिक के कंटेनरों के लिए तकनीकी मानकों का निर्माण किया गया, जिससे शहद में लेड की उपस्थिति की समस्या को कम करने में मदद मिली।
- शहद के अच्छे मानकों के निर्धारण के लिए सम्बंधित संस्थानों जैसे FSSAI, BIS, आदि के साथ समन्वय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप FSSAI ने शहद, मधुमक्खियों के मोम और रॉयल जेली, आदि के मानकों को अधिसूचित किया ।
- इस विभाग की विभिन्न योजनाओं (RKVY, NFSM, MIDH, आदि) के तहत कृषि में मधुमक्खीपालन/ हनीबी को एक इनपुट के रूप में मान्यता/ शामिल किया गया है।
- एन.बी.बी. द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन/ सलाह के समर्थन के अंतर्गत, मदर डेयरी द्वारा एन.सी.आर. के सफल आउटलेट्स में सफल ब्रांड शहद बेचा जा रहा है।
- 10 दिसंबर, 2016 को गुजरात के पालनपुर में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बनास ब्रांड शहद का उद्घाटन किया गया I
- आनंद, गुजरात में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की गई है।

4. कृषि के समग्र सतत विकास व ग्रामीण गरीबों की आजीविका के स्रोत में मधुमक्खीपालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने नई केंद्रीय वित्त पोषित योजना **"राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन और हनी मिशन" (एनबीएचएम)** को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य **"मीठी क्रांति"** के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक मधुमक्खीपालन को बढ़ावा देकर कृषि और बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन और हनी मिशन" के अंतर्गत 3 मिनी मिशन होगें: मिनी मिशन-1 (एमएम-1), मिनी मिशन-2 (एमएम-2) और मिनी मिशन-3 (एमएम-3)। जिनके के तहत मुख्य जोर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, मधुमक्खीपालन द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण, मधुमक्खी की कालोनियों व बक्सों, यंत्र आदि का अनुदान पर वितरण, मूलभूत सुविधाएं/ आधारिक संरचना: जेसे **एकीकृत मधुमक्खीपालन विकास केंद्रों (IBDCs)** की स्थापना, मधुमक्खी के बक्सों, यंत्र आदि बनाने के केंद्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, एपी-थेरेपी केंद्र, मधुमक्खी रोग निदान व् रोकथाम प्रयोगशालाएं, हनी टेस्टिंग प्रयोगशालाएं, क्वालिटी नुक्लियस स्टॉक व् बी ब्रीडिंग सेंटर्स, कलेक्शन प्रोसेसिंग स्टोरेज केंद्रों, आदि की स्थापना व डिजिटलीकरण/ ऑनलाइन पंजीकरण, आदि तथा मधुमक्खीपालन से सम्बंधित अनुसंधान (आर एंड डी) आदि पर दिया जाएगा। योजना के दिशा-निर्देश तैयार किए जा चुके हैं जोकि NBB की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वर्ष 2019-20 के लिए एनबीएचएम के तहत रु 25.00 करोड़ आवंटित किए थे। वर्ष 2020-21 के लिए रु. 150.00 करोड़ आवंटित किये गए हैं। हाल में ही, माननीय वित्त मंत्री ने मधुमक्खीपालन के लिए रु. 500.00 करोड़ के आवंटन की घोषणा की है जिससे करीब २ लाख मधुमक्खीपालकों को लाभ मिलेगा।

5. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता में सात सदस्यों सहित **मधुमक्खीपालन विकास समिति** बनाई गई। दो उप-समितियां भी बनाई गई। इनकी 8 बैठकें देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित कर सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इन बैठकों में सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चाओं के बाद बीडीसी की रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेशनल बी बोर्ड (एनबीबी) को रिपोर्ट तैयार करने में भी शामिल किया गया। फाइनल रिपोर्ट अध्यक्ष, बीडीसी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को औपचारिक रूप से माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा 28.01.2020 को अहमदाबाद, गुजरात में स्टेकहोल्डर्स की उपस्थिति में जारी किया गया था। बीडीसी ने 14 सिफारिशें दी जोकि संक्षेप में निम्न है:

i. मधुमक्खीपालन को कृषि इनपुट के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
ii. मधुमक्खीपालक को किसान की मान्यता दी जानी चाहिए, विशेष रूप से भूमिहीन मधुमक्खीपालकों को।
iii. **शहद व परागणकर्ता बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना I**
iv. मधुमक्खीपालकों के फेडरेशन/ किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा मिलें।
v. मधुमक्खीपालकों को संकट के दौरान बाजार में कम कीमतों पर शहद बेचने से बचाने के लिए **"शहद मूल्य स्थिरीकरण कोष"** स्थापित किया जाए I
vi. **भारतीय मधुमक्खियां और परागणकर्ता अनुसंधान संस्थान** स्थापित किया जाए।
vii. केवीआईसी मधुमक्खीपालन का विकास ग्राम उद्योग के रूप में करे।
viii. शहद और मधुमक्खी उत्पादों के मानकों, भंडारण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण आदि सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए।
ix. शहद और मधुमक्खी उत्पादों में मिलावट की रोकथाम की जाए।
x. राज्य सीमाओं व जंगल प्रवास के दौरान मधुमक्खीपालकों की कठिनाई कम हों।
xi. मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए मधुमक्खियों का उपयोग किया जा सकता है।
xii. शहद और मधुमक्खी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
xiii. स्वस्थ और पौष्टिक भोजन के रूप में शहद को बढ़ावा देना I और
xiv. समेकित मधुमक्खीपालन विकास केंद्रों को राशि आवंटन के लिए मानदंड।

6. इन सिफारिशों को लागू करने में 20-22 मंत्रालयों/ विभागों/ संस्थाओं व सभी राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक होगा I इन सभी सम्बंधित मंत्रालयों/ विभागों/ संस्थाओं तथा सभी राज्य सरकारों को उनसे सम्बंधित सिफारिशों पर उचित कार्यवाही कर के **"कार्रवाई की रिपोर्ट"** प्रस्तुत करने को कहा जा चुका है ताकि इन सिफारिशों को शीघ्र से शीघ्र लागू किया जा सके I

7. BDC की रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों के लागू होने से मधुमक्खीपालन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा तथा **"मीठी/ शहद क्रांति"** के लक्ष्य को प्राप्त करने मे मददगार होगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उक्त सभी संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/ संस्थाओं व सभी राज्य सरकारों आदि के साथ समन्वय एवं सलाह करते हुए इन संस्तुतियों को शीघ्र लागू करने का प्रयास करेगा।

8. विश्व मधुमक्खी दिवस (डब्लू.बी.डी.) 20 मई, 2020 के मौके पर, मैं देश में मधुमक्खीपालन में कार्यरत सभी मधुमक्खीपालकों/ किसानों और अन्य हितधारकों तथा NBB व NCDC को बधाई देता हूँ I मधुमक्खीपालन उद्योग में आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण आज मधुमक्खीपालन बहुत सारी समस्यायों जैसे शहद का उचित दाम ना मिलना, आदि के होते हुए भी आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व में पांच सबसे बड़े शहद उत्पादक देशों में से एक है। भारत विभिन्न देशों में शहद का निर्यात भी करता है। BDC की सिफारिशों के लागू होने से इन समस्यायों का समाधान होगा। इसका श्रेय मधुमक्खीपालकों, किसानों और अन्य हितधारकों व नेशनल बी बोर्ड को जाता है I देश को अपने मधुमक्खीपालकों/ किसानों पर गर्व है I